न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 8/2019

1 सुन्दरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद उम्र 34 साल जाति जाट निवासी ग्राम सनवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 रामरतन पुत्र शेखाराम कटारिया।
2 मोहनी देवी पत्नी शेखाराम कटारिया।
3 महावीर पुत्र शेखाराम कटारिया।
4 गंगाधर पुत्र शेखाराम कटारिया।
5 भगवानी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद समस्त जाति जाट निवासीगण सनवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 आमीना पुत्री रमजान।
7 इमामुदीन पुत्र रमजान।
8 जरीना पुत्री रमजान।
9 बानो पुत्री रमजान।
10 नसीम बानो पुत्री रमजान।
11 जैतुन पुत्री रमजान समस्त जाति मुसलमान तेली निवासीगण ईदगाह मस्जिद के पास कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 सन्तोष पत्नी मुकेश कुमार।
13 बीरबल पुत्र नाथाराम।
14 दोणाचार्य पुत्र गणपत राम समस्त जाति जाट निवासीगण बगड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
15 पटवारी पटवार हल्का बगड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
17 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ उप पंजियक कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18 तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित
04.02.2019 बउनवानी वाद रामरतन बनाम
सुन्दरी देवी आदि मुकदमा नम्बर 171/2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय लक्ष्मणगढ़
जिला सीकर द्वारा पारित किया गया है

उपस्थिति :

1. श्री अनिल कुमार भार्गव, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोमनाथ शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री विधाधर ख्यालिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 171/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 404,406 बाबत बंटवारा व स्थायी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निषेधाज्ञा का वाद पेश किया विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की सहमती से प्राथमिक डिक्री जारी की एवं बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचाराधीन निर्णय से अन्तिम डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में खसरा नम्बर 404व 406 के विभाजन प्रस्तावों पर हमारे हस्ताक्षर नही है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवाद होने पर जवाब प्राप्त कर तनकी बनाकर साक्ष्य प्राप्त कर विचारण न्यायालय को निर्णय करना चाहिए था। विचारण न्यायालय में हमे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। मौके पर रिपोर्ट हेतु जाने का अंकन गलत है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 03 का इकबाली जवाब है शेष पक्षकारों के बाद तामील उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त होने पर किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति नही की गई है। अन्तिम डिक्री के पश्चात अपील पेश की गई है। अब अपील का कोई आधार नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में मौका देखने की तिथि से पक्षकारों को सूचित नही किया गया है। तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नही देखा जाकर मौका रिपोर्ट पर केवल प्रति हस्ताक्षर किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पर पक्षकारों को आपत्ति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विचारणीय है कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 मृत व्यक्तियों के विरूद्व विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों पर विचार किये बिना सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियम 18 से 21 की पालना करते हुये प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर